**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1674

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**निम्न गुणवत्ता वाले शैक्षणिक पत्र-पत्रिकाएं**

**1674. श्री मो॰ नदीमुल हकः**

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि निम्न गुणवत्ता के पत्र-पत्रिकाएं भारी संख्या में बाजार में आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, चिन्ह्ति किए गए निम्न गुणवत्ता वाले पत्र-पत्रिकाएं और प्रकाशकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लेखक से धनराशि की उगाही के आधार पर निरंकुश ढंग से लिखित सामग्री के प्रकाशन में कदाचार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) से (घ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालय द्वारा सीधे अनुमोदित और प्रस्तुत पत्रिकाओं की सूची की समीक्षा की है। यूजीसी ने सूचित किया है कि यूजीसी की सावधानीपूर्वक जांच और विश्‍लेषण के आधार पर, सूची से 4305 ऐसी पत्रिकाओं को हटा दिया गया था। यूजीसी वर्तमान में केवल निम्नलिखित श्रेणी की शैक्षणिक पत्रिकाओं को मान्यता प्रदान करता है:-

 (।) विज्ञान अथवा स्कोपस वेब में सूचीबद्ध पत्रिकाएं

 (।।) स्थाई समिति और भाषा समिति द्वारा अनुमोदित पत्रिकाएं-मुख्यत: भाषाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए

 (।।।) विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पत्रिकाएं

यूजीसी की स्थाई समिति ने पत्रिकाओं की अधिसूचना पर यह निर्णय किया है कि अब अनुमोदन पोर्टल प्रत्येक वर्ष में एक बार खोला जाएगा और विश्वविद्यालय को पत्रिकाओं की अनुशंसा करने के लिए कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष से लेकर, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक अनुमोदन को, पत्रिकाओं की अधिसूचना पर स्थाई समिति की निगरानी के तहत पुन: सत्यापन किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल अच्छी गुणवत्ता वाली पत्रिकाएं, सही प्रकाशन विवरण के साथ यूजीसी अनुमोदित सूची में शामिल की जाती है।

**\*\*\*\*\***